रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1374] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2016/ज्येष्ठ 13, 1938
No. 1374] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2016/JYAISTHA 13, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2016

का.आ. 1970(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

श्री रामादेवराबेट्टा गिद्ध अभयारण्य, कर्नाटक राज्य के रामनगर तालुक में रामनगर जिला में 12° 45' 963" और 12° 45' 115" उत्तरी अक्षांश और 77° 18' 291" और 77° 17' 466" पूर्व देशांतर के बीच स्थित है तथा 346.42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है;

और, श्री रामादेवराबेट्टा गिद्ध अभयारण्य, कर्नाटक राज्य में सूखे वनों का एक महत्वपूर्ण भाग बनाता है तथा अर्कावती नदी, जो कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, इस अभयारण्य के बीच से बहती है;

और, अभयारण्य मैसूर हाथी आरक्षित का एक भाग है तथा यह अत्यधिक संकटग्रस्त और स्थानिक गिद्ध (जिप्स बेंगालेंसिस) और लंबी चोंच वाले गिद्ध(जिप्स इंडिक्स) का आश्रय है;

और, अभयारण्य में तेंदुआ, जंगली कुत्ता, लकडबग्घा, रिछ, सियार, चीतल का वास स्थान है और अभयारण्य में रीछ की अधिक जनसंख्या है;

और, श्री रामादेवरा मन्दिर अभयारण्य संलग्न के अंतर्गत स्थित है;

और, श्री रामादेवराबेट्टा गिद्ध अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में श्री रामादेवराबेट्टा गिद्ध अभयारण्य के चारों ओर 130 मीटर से 1.8 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को श्री रामादेवराबेट्टा गिद्ध अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

(1) **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार कर्नाटक में श्री रामादेवराबेट्टा गिद्ध अभयारण्य की सीमा के चारों ओर से 130 मीटर से 1.8 किलोमीटर तक है और जिसकी सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन 756.19 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर सहित **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध हैं ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** में दिया गया है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा |

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी |

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई;

(x) लोक निर्माण विभाग |

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग:** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 13, 19, 25, 32 और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की

मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, कर्नाटक सरकार के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरास:** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल :** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण :** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण:** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण:** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस.आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन:** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इर्काइयां :**

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाय विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्र्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	चट्टानों पर चढाई और अन्य संबंधित क्रियाकलाप ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	कंपनियों/फर्मो/निगम गृहों आदि द्वारा बृहत्त हरित गृहों की स्थापना और अन्य वाणिज्यिक कृषि/ उद्यान कृषि उद्यान, जो वन्यजीव के संचालन को रोकते है ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । परंतु स्थानीय कृषकों द्वारा लघु पैमाने पर पहलों को लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।
(10)	मांस प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

(11)	पशु चिकित्सा प्रयोजन के लिए डिक्लोफेनिक का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(12)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(13)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(14)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
(15)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
(16)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है ।

		(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(17)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(क) भूमिगत केबलीकरण का संवर्धन। (ख) विद्यमान घरेलू लाईनें- यदि भूमि के ऊपर है तो उनकी <20 डिग्री से अधिक के लिए ऊंचाई भूमि से 30 फीस और < 30 डिग्री से अधिक के लिए ऊंचाई भूमि से 30 फीट पर होनी चाहिए । (ग) 11 केवी से अधिक के घरेलू प्रयोजन के लिए भावी विद्युत लाईनों का भूमिगत बिछाया जाएगा। (घ) 11 केवी से अधिक की किसी पारेषण लाइन के लिए दो टावरों के बीच ''झुकाव'' बिंदु भूमि से कम से कम 15 मीटर पर होगा।
(18)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(20)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(21)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	प्राकृतिक जलाश्यों या भू क्षेत्रों में उपचारित बहि:स्रावों का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान ।	उपचारित बहि:स्रावों के पुन:चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और कीचड़ या ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जाएगा ।
(24)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
(26)	वन उत्पाद और गैर-काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक के थैलो का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	विदेशी वनस्पति की कृषि और	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

	प्राणि प्रजातियों जैसे इमू, जापानी क्वैल, टर्की, खरगोश, योर्क शायर पिग हैं।	
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(31)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन संवर्धन होंगे।
(32)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(33)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(35)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
(36)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1. संबंधित प्रादेशिक आयुक्त - अध्यक्ष ;
2. पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य;
3. शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि - सदस्य ;
4. कर्नाटक सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर- सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि - सदस्य ;
5. प्रादेशिक अधिकारी, मैसूर, कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;
6. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, रामनगर जिला - सदस्य ;
7. पारिस्थितिक के क्षेत्र से कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में सदस्य विख्यात संस्थान या विश्वविद्यालय से एक वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
8. उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, रामनगर जिला - सदस्य ;
9. पुलिस अधीक्षक या उसका प्रतिनिधि, रामनगर जिला - सदस्य ;
10. उप वन संरक्षक, रामनगर क्षेत्रीय प्रभाग और वन्यजीव वार्डन, रामनगर - सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन

(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

8. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

9. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/9/2016-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

रामादेवराबेट्टा गिब्द अभयारण्य, पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर – पारिस्थितिक संवेदी जोन की उत्तर सीमा हरीसंद्रा ग्राम के उत्तर पूर्व भू- भाग की सर्वे सं-153 लगभग 62 श्रंखला उसी ग्राम के उत्तर- पश्चिम बिंदु सर्वे सं 304 से आरंभ होकर जाती है। इसके बाद हल्लीमाला ग्राम के उत्तर- पश्चिम बिंदु सर्वे सं 304 से इसके अतिरिक्त नीचे जाती है और लगभग 75 श्रृंखला के मादापुरा ग्राम के उत्तर पूर्व भू- भाग बिंदु के सर्वे सं 118 से मिलती है।

पूर्व- मादापुरा ग्राम के सर्वे सं 118 के उत्तर पूर्व बिंदु से आरंभ होकर पारिस्थितिक संवेदी जोन के नीचे सर्वे सं 128,129 के साथ होत हुए और लगभग 125 श्रृंखला के लिए थोहल्ली ग्राम के सर्वे सं 129 से मिलती है इसके बाद रेखा पारिस्थितिक संवेदी जोन रेखा केथोहल्ली ग्राम के सर्वे सं 129 के बिंदु से होते हुए जाती है इसके बाद रेखा संगबसवानादोददी ग्राम के दक्षिण में नीचे की ओर जाती है और यह होते हुए और बैंगलूर मैसूर सडक से जुडकर लगभग 87 श्रृंखला के लिए बसवानापुरा ग्राम के सर्वे सं 72 के बिंदु से मिलती है।

दक्षिण- इसके बाद रेखा बसवानापुरा ग्राम के सर्वे सं 72 से यह सर्वे सं 143, 140 के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है और यह हल्लीमाला ग्राम के सर्वे सं 119 के उत्तर पूर्व बिंदु से मिलती है।

पश्चिम- इसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन रेखा हल्लीमाला ग्राम के सर्वे सं 119 के उत्तर-पूर्व भू भाग बिंदु से अरकावधी नदी के साथ उत्तर पूर्व की ओर जाती है और लगभग 112 श्रृंखला के हल्लीमाला ग्राम के सर्वे सं 73 के दक्षिण-पश्चिम भू- भाग बिंदु से मिलती है इसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन रेखा उत्तर पूर्व दिशा में जाती है लगभग 175 श्रंखला के हरिसंद्रा ग्राम के सभी सर्वे सं 224,218,212,211,200,153, के साथ और उत्तर सीमा में पारिस्थितिक संवेदी जोन के आरंभिक बिंदु में समाप्त होती है।

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

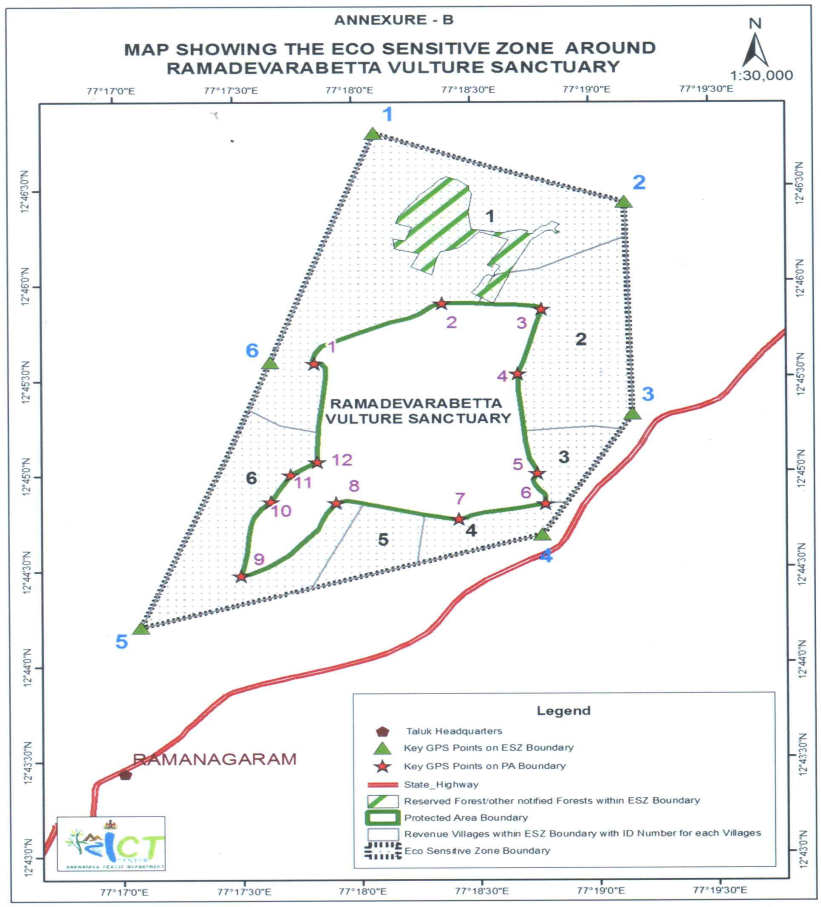

Deputy Conservator of Forests,
Ramanagara Territorial Division,
Ramanagara

Chief Conservator of Forests
(TERRITORIAL)
Bangalore

श्री रामादेवराबेट्टा गिध्द अभयारण्य सीमा के मुख्य अवस्थान (जी.पी.एस.बिंदु)

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	77.297099	12.759726
2	77.306144	12.764883
3	77.313073	12.764289
4	77.311376	12.758664
5	77.312633	12.749927
6	77.313171	12.747300
7	77.307095	12.746007
8	77.298505	12.747510
9	77.291745	12.741174
10	77.293928	12.747652
11	77.295355	12.749957
12	77.297229	12.751089

श्री रामादेवराबेट्टा गिध्द्ध अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के मुख्य अवस्थान (जी.पी.एस बिंदु)

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	77.301500	12.779850
2	77.319030	12.773630
3	77.319370	12.755080
4	77.312930	12.744580
5	77.284680	12.736680
6	77.294006	12.759831

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	जिला	तालुक	ग्रामो के नाम	देशांतर	अक्षांश	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	टिप्पणी
1	बैंगलूर ग्रामीण	रामानगरम	हरिसंद्रा	77.304707	12.769126	319.88	आंशिक ग्राम
2	बैंगलूर ग्रामीण	रामानगरम	मादापुरा	77.315349	12.761598	142.40	आंशिक ग्राम

3	बैंगलूर ग्रामीण	रामानगरम	केथोहल्ली	77.314622	12.751271	33.46	आंशिक ग्राम
4	बैंगलूर ग्रामीण	रामानगरम	बसवानापुरा	77.308765	12.744990	35.07	आंशिक ग्राम
5	बैंगलूर ग्रामीण	रामानगरम	वदेराहल्ली	77.301124	12.743784	39.83	आंशिक ग्राम
6	बैंगलूर ग्रामीण	रामानगरम	हल्लीमाला	77.292278	12.745281	137.55	आंशिक ग्राम
					कुल:	**708.19**	

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2016

S.O. 1970(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Sree Ramadevarabetta Vulture Sanctuary is situated in Ramanagara Taluk of Ramanagara district in the State of Karnataka and lies between the North Latitudes 12º 45' 963" to 12º 45' 115" N and between the East Longitudes 77º 18' 291" and 77º 17' 466" and is spread over an area of 346.42 hectares;

AND WHEREAS, the Sree Ramadevarabetta Vulture Sanctuary forms an important part of the drier forests in the state of Karnataka and River Arkavathy which is an important tributary of Cauvery River flows through the Sanctuary;

AND WHEREAS, the sanctuary is part of the Mysore Elephant Reserve and supports highly endangered and endemic Vulture (*Gyps benghalensis*) and Long Billed Vulture (*Gyps indicus*);

AND WHEREAS, the sanctuary harbours leopard, wild dog, striped hyena, sloth bear, jackal, chital and the sanctuary has good population of sloth bear;

AND WHEREAS, the Sree Ramadevra Temple is present inside the Sanctuary as an enclosure;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Sree Ramadevarabetta Vulture Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industry and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone ;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub–section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 130 meters to 1.8 kilometers from the boundary of Sree Ramadevarabetta Vulture Sanctuary in the State of Karnataka, as the Sree Ramadevarabetta Vulture Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone has an extent varying from 130 meters to 1.8 kilometers from the boundary of Sree Ramadevarabetta Vulture Sanctuary and the description of boundaries is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 756.19 hectares.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes longitudes is appended as **Annexure II;**

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation;

(x) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 13, 19, 25, 32 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) Widening and strengthening of existing roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Karnataka.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the boundary of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines

(iii) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement the rules and regulations under the relevant Acts and made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals) stone quarrying, and crushing units shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste including medical waste and e-waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Rock climbing and other allied activities.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Establishment of large green houses and other commercial agricultural / horticultural ventures by companies/firms/ corporate houses etc. that block movement of wildlife.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws: Provided that initiatives on small scale by local farmers shall be permitted as per applicable laws.
10.	Establishment of meat processing units.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Use of Diclofenac for veterinary purpose.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
12.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the boundary of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines
14.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any,

		with the prior permission from the competent authority. (c) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and upto the boundary of Eco- sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
17.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(a) Promote underground cabling. (b) Existing domestic lines – If over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground. (c) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11 KV has to be done underground. (d)For any transmission line more than 11 KV, the "sag" point between the two towers should be at least 15 meters from the ground.
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
19.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.

23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
24.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
26.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
27.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
29.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
30.	Farming of exotic floral and faunal species such as Emu, Japanese Quail, turkey, rabbit, Yorkshire pig.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under applicable laws.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee:- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

(i) The Concerned Regional Commissioner – Chairman.

(ii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member.

(iii) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka – Member.

(iv) Representative of Non-governmental Organisation working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case - Member.

(v) The Regional Officer, Mysore, Karnataka State Pollution Control Board – Member.

(vi) The Deputy Director, Animal Husbandry Department, Ramanagara District - Member

(vii) One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case - Member.

(viii) Deputy Commissioner or his representative, Ramanagara District.– Member.

(ix) The Superintendent of Police or his representative, Ramanagara District.– Member.

(x) The Deputy Conservator of Forests, Ramanagara Territorial Division and Wildlife Warden, Ramnagara- Member Secretary.

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

8. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

9. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/9/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of the eco-sensitive zone

North:- North boundary of Eco-sensitive Zone starts from the North-East corner of Harisandra village of Sy. No. 153 about 62 chains of North-west point Sy. No. 304 of the same village. Then from the North-west point of Sy. No. 304 of Hallimala village further runs down and meets at North-East corner point Sy. No. 118 Madapura village of about 75 chains.

East:- Starting from the North-East point ar Sy.No. 118 of Madapura village the Eco-sensitive Zone passes down all along the Sy.No. 128,129 and meets at Sy.NO. 129 of Ketohally village for about 125 chains. Then Eco-sensitive Zone line passes from point at Sy. No. 129 of Kotehally Village. Then the line runs down towards the South at Sangabasavanadoddi village and it passes and meets at the point at Sy. No. 72 of Basavanapura village for about 87 chains joining the Bangalore – Mysore road.

South:- Then the line from Sy.No. 72 of basavanapura village it goes South-West all along the Sy. No. 143,140 and meets at North-East point of Sy. No. 119 of Hallimala village.

West:- Then the Eco-sensitive Zone line from North-east corner point of Sy. No. 119 of Hallimala village runs North-East all along Arkavathi river and meets at South – West corner point of Sy. No. 73 of Hallimala

village of about 112 chains. Then Eco-sensitive Zone line goes up in North-East direction. All along Sy.No. 224,218,212,211,200,153 of Harisandra village of about 175 chains and ends at the starting point of the Eco-sensitive Zone in North boundary.

Annexure II

Map of proposed Eco-Sensitive Zone:

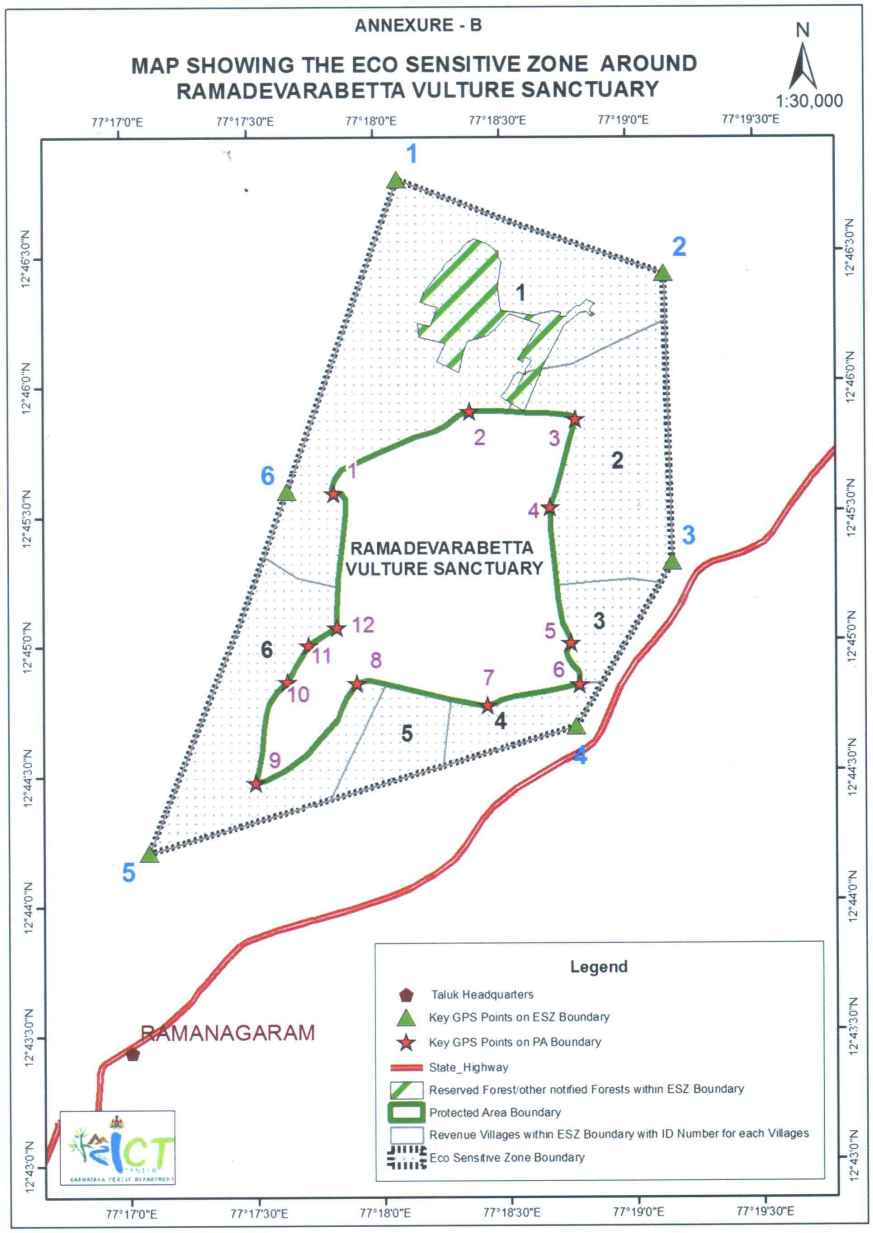

Deputy Conservator of Forests,
Ramanagara Territorial Division,
Ramanagara

Chief Conservator of Forests
(TERRITORIAL)
Bangalore

Key locations (GPS Points) on the Sree Ramadevarabetta Vulture Sanctuary boundary.

Map id	**Latitude**	**Longitude**
1	77.297099	12.759726
2	77.306144	12.764883
3	77.313073	12.764289
4	77.311376	12.758664
5	77.312633	12.749927
6	77.313171	12.747300
7	77.307095	12.746007
8	77.298505	12.747510
9	77.291745	12.741174
10	77.293928	12.747652
11	77.295355	12.749957
12	77.297229	12.751089

Key locations (GPS Points) on the Eco-sensitive Zone boundary of Sree Ramadevarabetta Vulture Sanctuary.

Map id	Latitude	Longitude
1	77.301500	12.779850
2	77.319030	12.773630
3	77.319370	12.755080
4	77.312930	12.744580
5	77.284680	12.736680
6	77.294006	12.759831

Annexure III

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone

Map ID	District	Taluk	Name of the village	Longitude	Latitude	Area in Ha	Remarks
1	Bangalore Rural	Ramanagaram	Harisandra	77.304707	12.769126	319.88	Partial illage
2	Bangalore Rural	Ramanagaram	Madapura	77.315349	12.761598	142.40	Partial illage
3	Bangalore Rural	Ramanagaram	Kethohalli	77.314622	12.751271	33.46	Partial illage
4	Bangalore Rural	Ramanagaram	Basavanapura	77.308765	12.744990	35.07	Partial illage
5	Bangalore Rural	Ramanagaram	Vaderahalli	77.301124	12.743784	39.83	Partial illage
6	Bangalore Rural	Ramanagaram	Hallimala	77.292278	12.745281	137.55	Partial illage
					Total:	**708.19**	

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.